—बैंकों द्वारा अभिज्ञात रुग्ण एककों के जीव्यक्षमता संबंधी तत्काल अध्ययन/उपचार कार्यक्रम (भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश आर पी सी डी संख्या पी एल एन एफ एल बी सी 1/06.02.31/92-93 दिनांक 3 जुलाई, 1993)।

—रुग्ण औद्योगिक एककों के कार्य को देखने के लिए प्रमुख स्थानीय केन्द्रों और प्रधान कार्यालय में प्रकोष्ठों को खोलना और रूग्ण एककों के पुनर्जीवन के लिए तकनीकी पहलुओं की जांच करने हेतु तकनीकी कार्मिकों सहित कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था करना।

—भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण विभाग के स्थानीय प्रभारी इन समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। लघु तथा मझौले औद्योगिक एककों की समस्याओं पर सूचना के अदान-प्रदान और विचार-विमर्श के लिए एक उपयोगी मंच की व्यवस्था करने हेतु सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतः संस्थागत समितियां कार्य कर रही है। इस समिति में लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राज्य वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और संबंधित राज्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जिन अन्य बैंकों/संगठनों का सहयोग समिति के विचार-विमर्श हेतु आवश्यक समझा जाता है उन्हें विशेष बैठक के लिए विशेष आमंत्रण भेजा जाता है। समिति की बैठक त्रैमासिक होती है और जीव्यक्षम रुग्ण एककों के पुनर्वास से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाती है ताकि सर्वसम्मति के आधार पर पुनर्वा हेतु विस्तृत मानदंड उभर सकें।

(ख) केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती है। तथापि, भारतीय लघु विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संभाव्य अर्थक्षम रूग्ण एककों पुनर्स्थापना के लिए एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन पिछले दो वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा स्वीकृत तथा वितरित राशि इस प्रकार है:—

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	संख्या	स्वीकृति	वितरण
1996-97	55	3.20	1.09
1997-98	32	3.31	0.82

चालू वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) लघु औद्योगिक क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में रूग्णता की घटनाओं में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, देश में रूग्ण लघु एककों की संख्या जो मार्च, 1995 के अंत में 2,68,815 थी, मार्च, 1997 के अंत में घटकर 2,35,032 हो गई है।

Freight Equalisation for Coal and Iron Ore

3564. SHRI ASHOK MITRA:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the effects of the decision to modify the policy of freight equalisation with respect to coal and iron ore have been studied at some depth;

(b) whether in the light of experience gathered from the partial withdrawal of the freight equalisation policy, Government intends to move towards a full reversal of freight equalisation; and

(c) whether representations have been received from State Governments on the pros and cons of full withdrawal?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) There has been no system of freight equalisation scheme with respect to transport of coal and iron ore and consequently there was never an occasion to study a modification of the policy of equalisation.

(b) and (c) Does not arise.